Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जीएसटी का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. आलोक कुमार यादव*

* मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इंदिरा गाँधी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – 'एक देश, एक कर और एक' बाज़ार की अवधारणा के साथ सम्पूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 से गंतव्य और उपभोग आधारित अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। जब इसे लागू किया गया है तब से सरकार ने इसे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला कहा है वही ने विपक्ष ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। यह कर व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक रूकावटो के बाद अब परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। लगभग 40 प्रकार के कर और उपकर(सेस) के स्थान एक टैक्स जीएसटी होने से व्यवसायियों और टैक्स प्रेक्टिसनर के कार्यों में सरलता आई है। जीएसटी लागू करते समय सरकार का दावा था कि इससे कीमतों की कमी आएगी जो आम उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।

टैक्स इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइल करते समय पोर्टल के बार-बार अवरोधों के कारण आवश्यक औपचारिकताएँ समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। जीएसटी लागू होने के शुरुवाती समय में विकास दर में गिरावट देखी गयी इसी प्रकार कर संग्रह भी अपेक्षाओं के अनुरूप संग्रहित नहीं हो सका। लेकिन विगत तीन वित्तीय वर्षो में कर संग्रह में आशातीत वृद्धि हुई है। सापेक्ष दृष्टिकोण से जीएसटी का मिश्रित प्रभाव देखा गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इसकी विवेचना की गई है। यह शोधपत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोधपत्र मौजूदा साहित्य पर आधारित है और इसमें इंटरनेट स्रोतों का उपयोग किया गया है। विभिन्न लेखों, शोधों, सरकारी रिपोर्टों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विभिन्न वेबसाइटों और इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – जीएसटी, जीएसटीएन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्टर्ड डीलर, कम्पोजीशन स्कीम, वेट औरआबकारी शुल्क।

प्रस्तावना – विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी सिस्टम को वर्ष 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर व्यवस्था अपनाने वाला भारत 161 वां देश था। भारत में संघीय ढांचे के कारण दोहरी जीएसटी प्रणाली अपनाई गई अर्थात केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी। जिसका भार वस्तु या सेवा के अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पन्न हुई विभिन्न स्थितियाँ एवं प्रतिक्रियाएँ परिलक्षित हुई जो इसके मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है जो इस प्रकार है:-

1. **सरकारी राजस्व में वृद्धि –** जीएसटी लागू होने के बाद सरकारी राजस्व में लगभग दोगुनी से ज्यादा वृद्धि हुई। प्रारम्भ में जीएसटी से कर संग्रह उम्मीद से कम रहा, लेकिन धीरे-धीरे इसमें वृद्धि हो रही है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1: वर्षवार सकल जीएसटी संग्रह और रजिस्टर्ड करदाताओं की संख्या

वर्ष	सकल जीएसटी संग्रह (करोड़ रु. में)	रजिस्टर्ड करदाताओं की संख्या (लाख में)
जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक	7,40,648	105.09
2018-19	11,77,369	120.82
2019-20	12,22,116	122.34
2020-21	11,36,801	129.97
2021-22	14,88,227	136.32
2022-23	18,07,680	139.55
2023-24	20,18,249	145.43
2024-25 नवम्बर 2024 तक	14,56,709	148.16

स्रोत : *https://cbic-gst.gov.in*

प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था में सुस्ती, करदाताओं में असमंजस, बिना बिल के माल की पूर्ति के कारण कर संग्रह अपेक्षित रूप से नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल 2018 से ई-वे बिल व्यवस्था लागू होने से कर चोरी पर अंकुश लगने से वर्ष 2023-24 में वस्तु और सेवा कर के रूप में 20-18 लाख करोड़ रूपये का कर संग्रह हुआ है। वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाही में 2024-25 नवम्बर 2024 तक 14-57 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

2. **रजिस्टर्ड व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि:** जीएसटी से पहले देश में करीब 66 लाख उद्यमी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए रजिस्टर थे। जीएसटी में नवम्बर 2024 तक 1.48 करोड़ रजिस्टर्ड करदाता हो गए थे अर्थात टैक्स बेस दोगुना हो गया है। पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में दुगुनी वृद्धि से जहाँ एक ओर जीएसटी संग्रह की राशि में वृद्धि हुई है, वहीं इसका अनुकूल प्रभाव आयकर संग्रह पर भी पड़ा है। आयकरदाताओं की संख्या भी डेढ़ गुना हो गयी है।

3. **विकास दर में गिरावट-** जीएसटी लागू होने के बाद कोविड के कारण

लागू लॉक डाउन के कारण बाजार मंदी की गिरफ्त में आ गया एवं विकास दर घट गयी। लेकिन अब अर्थव्यवस्था पुन: पटरी पर आ गयी है, आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो गयी है। परिणामस्वरूप 2023-24 में जीडीपी 7% वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत विश्व में विकास दर के मामले में सर्वाधिक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है।

4. महँगाई में वृद्धि- जीएसटी लागू करते समय कहा गया था कि एक देश एक कर होने एवं कर पर कर लगने के दुष्प्रभाव के दूर होने से लोगों को वस्तुएँ सस्ती मिलेगी, लेकिन व्यवहार में आम उपभोग की वस्तुओं के मूल्य जीएसटी लागू होने के बाद घटने के बजाय बढ़े हैं, क्योंकि कई करमुक्त वस्तुएँ जीएसटी के दायरे में आ गई हैं एवं कई वस्तुएँ ऊँचे कर खण्ड में रखी गयी हैं। सेवाओं पर कर की दर बढ़ने से सेवाएँ भी महँगी हो गयी हैं। व्यापारी भी जीएसटी की आड़ लेकर बढ़े हुए भावों पर माल बेच रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं।

5. छोटे कारोबारियों के लिए समस्याएँ - जीएसटी लागू से सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना छोटे व्यापारियों को करना पड़ रहा है। श्रम शक्ति के अभाव और कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं होने से हिसाब-किताब रखना मुश्किल हो रहा है। सर्वर प्राय: सही कार्य नहीं करता है, जिससे लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। खुदरा व्यापार या कुटीर उद्योग समाप्त प्राय: है। जीएसटी ने खासकर छोटे कारोबारियों के लिए कई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। जैसे कानून का पालन करना, परिचालन लागत में वृद्धि, सिस्टम का ऑनलाइन होना, नई तकनीक का इस्तेगाल, कर बोझ बढ़ना आदि।

6. छोटी इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव - लघु एवं मंझले उद्योगों (एसएमई) के द्वारा जीएसटी की बारीकियाँ नहीं समझने के परिणामस्वरूप उनके कारोबार पर असर पड़ा है और उनका उत्पादन घटा है। विशेषकर टैक्सटाइल एवं गारमेण्ट क्षेत्र में काम करने वाले कई स्थायी एवं अस्थायी कारीगर मजदूर छंटनी का शिकार हुए हैं।

7. कर की दरों के ज्यादा खण्ड- जीएसटी के समीक्षक जीएसटी में कर की दरों के सात खण्ड रखने की आलोचना में इसे 'नई बोतल में पुरानी शराब' जैसा कहते है, क्योंकि उत्पादन शुल्क और वेट में भी लगभग इतने ही कर खण्ड थे। जीएसटी में विभिन्न वस्तुओं के लिए अनिवार्य, आरामदायक एवं विलासिता की दृष्टि से अलग-अलग कर खण्ड समझ में आते हैं, लेकिन एक ही प्रकृति की वस्तुओं पर कर की दरों की विविधता इसे जटिल बनाती है जैसे एक हजार रु. मूल्य तक वाले रेडीमेड गारमेण्ट पर 5% जीएसटी, एक हजार रुपये से ज्यादा वाले गारमेण्ट्स पर 12% जीएसटी लगता है। समान माल पर दरों की विविधता के कारण बिलिंग में कठिनाइयाँ आ रही हैं।

जीएसटी को सरल, सहज एवं सफल बनाने के लिए सुझाव- जीएसटी लागू करते समय जो व्यवसायियों और आम जनता को सपने दिखाये गए थे वे धूमिल हुये हैं एवं आशंकाएँ हकीकत में बदलती हुई दिख रही हैं। देश की आर्थिक स्थिति और जीएसटी के क्रियान्वयन के दोषों, कमियों एवं कठिनाइयों को देखते हुये निम्न प्रयास किये जाने चाहिए-

1. जीएसटी अधिनियम को सरल बनाना - इसके क्रियान्वयन में छोटे व्यापारियों के हितों की अनदेखी की गई है। समय रहते सरकार को यथाशीघ्र इनकी समस्याओं को तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। खुदरा, खाद्य, कपड़ा, मार्बल, बीड़ी उद्योग, कंज्यूमर गुड्स और ड्यूरेबल कंपनियाँ के लगभग 70% व्यवसायी अपने बहीखातों का कम्प्यूटरीकरण नहीं कर पा रहे हैं। थोक और खुदरा व्यापारियों के बीच इसी कारण संघर्ष भी बढ़ रहा है। कानून को सरल और पारदर्शी बनाकर पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है।

2. कर की दरों का युक्तिकरण- एक जैसी समान प्रकृति की वस्तु पर दोहरी या तिहरी दरें समाप्त करके एक दर लागू की जाना चाहिए। जैसे विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानों पर 5%, 12%, 18% एवं 28% की दरें हैं। इससे भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। इन अलग-अलग दरों की बजाय एक या दो समन्वित दरें लागू करने से सरलता बढ़ेगी। करयोग्य माल को 28% की दर से 18% एवं 12% के कर खण्ड में लाने के प्रभावी प्रयास करने चाहिए।

3. उपभोक्ताओं तक लाभ पहुँचाना - जीएसटी में कई वस्तुओं की दरें पूर्ववर्ती उत्पाद शुल्क वेट अन्य कर की तुलना में कम रखी गयी हैं। इस दृष्टि से वस्तुएँ सस्ती होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में उत्पादकों एवं व्यापारियों ने वस्तुओं के मूल्य नहीं घटाए हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दरों में कमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुँचे। इसके लिए वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा के साथ मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए।

4. रिटर्न्स की संख्या में कमी करना- एक वित्तीय वर्ष में 37 रिटर्न्स का भय समाप्त किया जाना चाहिए। सभी करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, इससे करदाताओं को कागजी कार्यवाही से काफी राहत मिलेगी, यद्यपि अभी अक्टूबर माह में सरकार ने जीएसटी कौंसिल की अनुशंसा पर 5 करोड़ रुपये तक के कारोबारियों के लिए तिमाही रिटर्न भरने की राहत दी है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह व्यवस्था सभी करदाताओं के लिए होना चाहिए।

5. सरल एवं सुलभ सॉफ्टवेयर जरूरी- आधारभूत तैयारी किये बिना जीएसटी लागू करने के कारण जीएसटीएन एक उन्नत और प्रभावकारी सॉफ्टवेयर विकसित नहीं कर पाया। जीएसटी के लिए बनाया गया सहयोगी बुनियादी ढाँचा इतना मजबूत नहीं है कि निजी क्षेत्र इसको सहज स्वीकार कर सके। आम शिकायत है कि बहुत-सी चीजों की जानकारी छोटे व्यापारियों के पास अब तक नहीं पहुँच पाई है।

6. व्यावसयिक सहजता एवं निर्भयता का वातावरण तैयार करना - मुक्त और निर्बाध बाजार सहजता व निर्भयता के वातावरण से पल्लवित होता है जबकि जीएसटी जिस रूप में आया है, उससे धारणा विपरीत ही निर्मित हुई है। अत: इस धारणा को तोड़ने के लिए सरकार को अविलंब पुरजोर अभियान चलाना चाहिए।

7. निर्बाध एवं सुचारु ऑनलाइन व्यवस्था - आधी अधूरी तैयारियों के साथ जीएसटी लागू करने छोटे कारोबारियों को जीएसटी अपनाने में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए जीएसटी नेटवर्क से जुड़ने, दस्तावेज अपलोड न कर पाने, सभी को पासवर्ड न मिलने, पर्याप्त नेटवर्क का अभाव आदि परेशानी का कारण बने हुए हैं। ऐसे में छोटे कारोबारियों को पर्याप्त समय, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, ताकि छोटे कारोबारियों को राहत मिले।

8. माल परिवहन के अव्यावहारिक प्रावधान में सुधार - जीएसटी लागू होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन सम्बन्धी इसके कड़े एवं अव्यावहारिक प्रावधान के कारण ट्रांसपोर्टर जीएसटी का भय बताकर मनमाना किराया वसूल करने के साथ अनावश्यक प्रपत्रों की माँग करते हैं। सरकार को परिवहन सम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए, ताकि माल का सरलता एवं सहजता से परिवहन किया जा सके।

9. जॉबवर्क की दरों को माल की दरों के अनुरूप बनाना – जॉबवर्क को जीएसटी में सेवा क्षेत्र मानकर इस पर 18 की दर से जीएसटी लगता है, जबकि कई जॉब वर्क वाले ऐसे माल हैं, जिन पर कर की दर 5% या 12% है, ऐसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्मित माल पर देय टैक्स से ज्यादा हो जाती है, इससे इसके समायोजन एवं वापसी में कठिनाई आती है।

10. पेट्रोल–डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना – पेट्रोलियम पदार्थों की दरें देश भर में एक जैसी रहे, इसके लिए डीजल, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थों को भी शीघ्र ही जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, इससे वेट की दरों की विसंगति दूर होगी और राज्यों की मनमानी बढ़ोतरी या प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलेगी।

निष्कर्ष – अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीएसटी का विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है, लेकिन परिवर्तन एक सीमा तक अच्छा होता है। जीएसटी से जहां सरकार को बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है; वहीं करदाता को पूंजी का नुकसान हुआ है। कई ऐसे प्रावधान है जिसके कारण छोटे व्यवसाय और उद्यमी को पूंजी के लिए गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर ढांचे में सरलता, सुशासन और नवप्रवर्तन के द्वारा व्यवसाय में तेजी लाई जा सकती है जिससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धी दुनियां में जीएसटी संबंधित शंकाओ के प्रति कॉर्पोरेट और जनता का विश्वास बनाने में मदद मिल सके। जीएसटी के कार्यान्वयन को निर्बाध बनाने के लिए एक मजबूत देशव्यापी आईटी नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार होना अत्यावश्यक है। जीएसटी संबंधी सभी समस्याओं के निराकरण होने पर ही जीएसटी 'एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। जीएसटी अब भारतीय राजस्व व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग बन गया है। तमाम कठिनाइयों और उलझनों के बावजूद अब पीछे कदम लेना सम्भव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Taxmann's GST Law & Practice,CA (Dr.) Arpit Haldia, CA Mohd. Salim)
2. वस्तु एवं सेवा कर, डॉ.सुभाष गुप्ता,नीलम नाहर, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी,भोपाल, 2021
3. माल और सेवा कर डॉ.एच.सी मेहरोत्रा, प्रो. वी.पी. अग्रवाल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2020
4. Goods And Services Tax And Custom Duty GST by CA Anoop Modi, CA Mahesh Gupta and CA Nikhil Gupta, SBPD Publications, 2021
5. https://cbic-gst.gov.in/pdf/faq-gst-hindi.pdf
6. https://www.icai.org/post/study-material-nset
7. http://www.gstclub.in/news/1913/Year-wise-and-State-wise-GST-collection-2017-2024
8. https://taxguru.in/goods-and-service-tax/review-gst-act.html
9. https://hindi.business-standard.com/opinion/editorial-there-should-be-a-comprehensive-review-of-gst-rates-id-390623

****